

प्रेषक,

अरुण प्रकाश,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 16-12-2025

विषय:- नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY) योजनान्तर्गत द्वितीय किशत की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० का पत्र सं० तक०सेल/1396/यू०सी०/2025-26 दिनांक 27.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें। जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY) के अन्तर्गत नगर पंचायत-मुण्डेरवा, जनपद-बस्ती में निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत प्रथम किशत की धनराशि से कराये गये कार्यों की उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए अवशेष द्वितीय किशत की धनराशि रु० 32.34900 लाख (रु० बत्तीस लाख चौतीस हजार नौ सौ) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 29-05-2025 द्वारा योजना के दिशा-निर्देश के प्रस्तर-9.6 में व्यवस्था है कि पी०एम०यू०, क्षमता निर्माण, इन्फार्मेशन, एजुकेशन एण्ड कम्युनिकेशन (IEC), प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A & OE) पर व्यय के लिये कुल प्राविधानित बजट की 02 प्रतिशत धनराशि आरक्षित होगी, जिसमें से 01 प्रतिशत धनराशि (कुल प्राविधानित बजट की 01 प्रतिशत) नगरीय स्थानीय निकायों को उक्त गतिविधियों हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY) योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 के लेखाशीर्षक-2217808001800 के अन्तर्गत अधोलिखित निर्माण कार्य की परियोजना एवं प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A & OE) को शामिल करते हुए द्वितीय किशत के रूप में कुल धनराशि रु० 32.66845 लाख (रु० बत्तीस लाख छ्छठ हजार आठ सौ पैतालीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित तालिकानुसार एवं उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने पर श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रु० लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम/ कार्य का नाम	योजना हेतु स्वीकृति धनराशि	टेण्डर की धनराशि	कुल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (प्रशासकीय एवं अन्य मद सहित)	प्रथम किशत में प्रदान की गयी धनराशि	प्रथम किशत में प्रदान की गयी धनराशि का उपभोग (प्रतिशत में)	टेण्डर लागत के सापेक्ष वास्तविक लागत (कार्य की लागत+ A & OE)	अवशेष द्वितीय किशत की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-6)
1	नगर पंचायत-मुण्डेरवा, जनपद- बस्ती में दो स्थानों पर ओपेन जिम का निर्माण कार्य	20.00	19.93	20.20	10.10	9.76692 (97.66%)	20.1293	10.0293

2	नगर पंचायत-मुण्डेरवा, जनपद- बस्ती। मैं चिल्ड्रेन पार्क के विकास हेतु बच्चे के खेलकूद उपकरण पाथवे आदि का निर्माण कार्य	45.00	44.91	45.4399	22.71995	22.15569 (98.49%)	45.3591	22.63915
	कुल योग	65.00	64.84	65.6399	32.81995	31.9226	65.4884	32.66845

शर्तें व प्रतिबन्ध

- स्वीकृत/निर्गत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा वित्तीय नियमों के अनुसार सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
- निर्गत धनराशि शासनादेश संख्या-1013/नौ-6-2025-01न0यो0/2024, दिनांक 29.05.2025 द्वारा निर्गत नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY) की गाईडलाईन्स/दिशा-निर्देश में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित निकाय द्वारा व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत चयनित परियोजनाओं का निर्माण कार्य पत्र संख्या-2668(1)/नौ-6-2024, दिनांक 23.12.2024 के माध्यम से निर्गत विशिष्टियों (Specifications) के अनुसार कराया जायेगा।
- धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि, नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।+
- कार्य की मात्रा को, निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
- धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
- कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था की होगी तथा निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- प्रायोजनान्तर्गत जो जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य की गयी है। अतः निकाय/कार्यदायी संस्था अपने स्तर से सुनिश्चित कर लें कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
- बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा। इसके अनुपालन का दायित्व निकाय/ कार्यदायी संस्था का होगा।
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शासनादेश सं0-5/2021/फाइल नं0-65-2013/2/2019, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India, 2021" में दिये गये प्राविधान के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यमदें जिनका कोटेशन/बाजार दर पर प्रस्तावित हैं, के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर कोटेशन प्राप्त करें। निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।
- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो। कार्यदायी संस्था/निकाय द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पर्याप्त संख्या में सक्षम तकनीकी मैनु पॉवर तैनात की जाये।
- प्रायोजनान्तर्गत निर्मित परिसम्पत्ति के संचालन एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में ऐसी औचित्यपूर्ण व स्वपोषी कार्ययोजना सक्षम स्तर के अनुमोदन से बनाये जाने पर विचार किया जाये, जिससे उक्त प्रायोजना को चलाने हेतु आवर्ती व्यय प्राप्त हो सके।
- कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर योजना का नाम, कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य के प्रारम्भ व समाप्ति की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
- व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि

निधारात शतां म कसलं प्रकाश का वचलन हा, तां सम्बन्धत वलत नयन्त्रक इत्याद का दायत्व हांगा क उनकं द्वारा मामले की सूचना पूर्ण वलवरण सहलत तत्काल प्रशासकीय वलभाग तथा तथा वलत वलभाग को दी जायेगी।

19. सम्बन्धत नलकाय द्वारा यह सुनलशुवलत कलया जायेगा कल प्रश्नगत कार्यों हेतु पूर्व में राज्‍य सरकार अथवा कलसी अन्य स्रोतों से धनराशल सुवीकृत न की गयी हो तथा न ही वर्तमान में यह कार्य कलसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मललत है। योजनान्तर्गत यदल कलसी कार्य की दलवरावृत्तल होती है, तो सम्बन्धत अधलशासी अधलकारी तथा वलत एवं लेखा संवर्ग के अधलकारी द्वारा शासन को सूचलत कलया जायेगा। अन्यथा की स्थलतल में सम्बन्धत अधलकारी तथा वलत एवं लेखा संवर्ग के अधलकारी का उत्तरदायलत्व नलर्धारलत कलया जायेगा।

20. कार्यों के ललये सुवीकृत धनराशल का व्‍यय नलवलदा/कार्यदेश नलर्गत होने की सीमा तक कलया जायेगा तथा शेष धनराशल वापस राजकोष में जमा कराना सुनलशुवलत करेगें।

21. नलर्गत की जा रही धनराशल तत्काल कार्य प्रारम्भ करने हेतु नलकाय/कार्यदायी संसुथा को उपलब्ध करायी जाये।

22. इस सम्बन्ध में नलर्गत की जा रही धनराशल से नलकाय द्वारा अतलशीघ्र कार्य पूर्ण कराते हुये कार्यपूर्तल प्रमाण पत्र के साथ शासनादेश सं0-1013/नौ-6-2025-01न0यो0/2024, दलनांक 29.05.2025 में दलये गये नलर्देशानुसार नलदेशक, नगरीय नलकाय नलदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनलशुवलत कलया जायेगा।

23. सम्बन्धत जललाधलकारी/अधलशासी अधलकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जाँच कर गुणवत्ता सुनलशुवलत की जायेगी। इस हेतु वलकसलत डैश बोर्ड पर योजना की भौतलक/ वलत्तीय प्रगलतल एवं फोटोग्राफ्स अपलोड कलये जायेंगे।

24. नलर्गत की जा रही धनराशल का उपभोग वलत्तीय वर्ष-2025-26 (31 मार्च 2026 तक) में कलया जाना सुनलशुवलत कलया जायेगा उसके पश्चात धनराशल का उपयोग नलयमानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त ही कलया जायेगा।

25. सुवीकृत की जा रही धनराशल के व्‍यय हेतु वलत (आय-व्‍ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/ दस-2025-231/2025, दलनांक 27 मार्च, 2025 की शर्तों एवं प्रतलबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनलशुवलत कलया जायेगा।

26. प्रशासनलक एवं अन्य मदों (A & OE) हेतु नलर्गत उक्त धनराशल नलम्नलखलत गलतलवलधलयों हेतु उपयोग की जायेगी:- (1) क्षमता नलर्माण, इन्फार्मेशन, एजुकेशन एण्ड कमयुनलकेशन (IEC), प्रशासनलक एवं अन्य मदों (A & OE) हेतु।

(2) परलयोजना वलशेषज्ञ, उपार्जन (Procurement) वलशेषज्ञ, अनुबन्ध प्रबन्धन, ट्रान्जैक्शन परामर्शी के ललये सीमा से बाहर का व्‍यय।

(3) आवश्यक होर्डलंग्स, बैनर, पोस्टर, लीफलेट्स, फोटोग्राफ/आडलयो-वलजुअल माध्यमों, वॉल पेन्टलंग, नुक्कड़ नाटक, स्थानीय कलाकारों के माध्यम से करने हेतु।

(4) नगर चौपाल के माध्यम से सामाजलक, आर्थलक, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अध्‍ययन/शोध/अभललेखीकरण हेतु वलभलनून गलतलवलधलयों हेतु।

(5) डी0पी0आर0 तैयार करने और डी0पी0आर0 तैयार करने के ललये आवश्यक सर्वेक्षण कार्य करने वाले सलाहकार/टीम को भुगतान हेतु।

(6) आवश्यकतानुसार यात्रा व्‍यय।

4- इस संबंध में होने वाला व्‍यय रू0 32.66845 लाख (रू0 बत्तीस लाख छाछठ हजार आठ सौ पैतालीस मात्र) को चालू वलत्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्‍ययक में अनुदान संख्या 0 3 7 लेखा शीर्षक 2217808001800 नगरीय सेवार्ये और अवस्थापना वलकास परलयोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्वलक नगरोदय योजना) मानक मद 35 पूँजलगत परलसम्पत्तलयों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वलत (आय - व्‍ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दलनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय वलभाग को उक्तवत प्रतलनलधानलत अधलकार के अंतर्गत नलर्गत कलये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by

(अरुण) ARUN PRAKASH

वलशेषज्ञ वलत

Date: 16-12-2025
13:07:02

संख्या व दलनांक तदैव।

प्रतलललपल नलम्नलखलत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषलत:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवलतीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/दवलतीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. जललाधलकारी, बस्ती, उ0प्र0।

4. आंधेशासी आंधेकारो, नगर पचायत मुडेरवा जनपद-बस्ती, उ0प्र0।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी कोषागार, बस्ती, उ0प्र0।
7. सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0 प्रयागराज।
9. निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-09/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01/02।
12. टीम लीडर- पी0एम0यू0-सी0एम0वी0एन0वाई0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
अरुण प्रकाश
विशेष सचिव।